

**अधिसूचना संख्या 214/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 2001(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 627(ई) दिनांक 12.03.2013 द्वारा, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 26 पर "पलाना रेड्डी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, फ्लैट संख्या 803, आई-ब्लॉक, जल वायु टावर्स, लोअर टैंक बंड, हैदराबाद - 50048, आंध्र प्रदेश" द्वारा "वर्तमान वृद्धाश्रम और आगामी 200 वृद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के क्रियाकलापों में वृद्धि" को एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में, वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 446.83 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा "वर्तमान वृद्धाश्रम और आगामी 200 वृद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम की गतिविधियों में वृद्धि" योजना या परियोजना को अधिसूचित करता है, जिसे "पलाना रेड्डी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, फ्लैट संख्या 803, आई-ब्लॉक, जल वायु टावर्स, लोअर टैंक बंड, हैदराबाद-50048, आंध्र प्रदेश" द्वारा अनुमोदित लागत 446.83 लाख रुपये में किसी भी परिवर्तन के बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

■ ■